2025:CGHC:45887

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 2820/2025

1– मो. रहमत अंसारी पिता मो. रज्जाक अंसारी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी लीलादाह, पोस्ट– मोहनी, थाना– पोड़ैयाहाट, जिला: गोड्डा, झारखंड।

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना– सिविल लाइन्स, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

... उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री विवेक मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री संजीव पाण्डेय, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर निर्णय

09/09/2025

1. यह दाण्डिक विविध याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अधीन, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 60/2023 में दिनांक 23.05.2025 को पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आरोपों के बचाव के लिए नियुक्त किए गए अधिवक्ता को याचिकाकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि उनके पिता द्वारा नियुक्त किया गया था। यहाँ तक कि नियुक्त किए गए अधिवक्ता ने स्वयं पीड़िता से प्रतिपरीक्षण नहीं किया, बल्कि उनके कनिष्ठ अधिवक्ता ने किया, जो प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में पीड़िता की आयु और याचिकाकर्ता व पीड़िता के मध्य संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सके। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता बदल दिया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक अन्य अधिवक्ता नियुक्त किया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि चूंकि पीड़िता से विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछे जा सके थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर

दिया। उनका तर्क है कि पक्षकारों के मध्य विवाद सुलझने की संभावना है और इसलिए भी पीड़िता की पुन: परीक्षण आवश्यक है।

3. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता, ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और यह निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने एक सुविचारित आदेश के साथ आवेदन को खारिज किया है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि जिन प्रश्नों के लिए पुन: परीक्षण की मांग की जा रही है, वे उसकी प्रतिपरीक्षण के दौरान पीड़िता से पहले ही पूछे जा चुके हैं।

4. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन प्रस्तुत आवेदन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए आधारों का उल्लेख उस आवेदन के अभिवचनों में नहीं किया गया है। आवेदन में केवल यह अभिवचन किया गया है कि पीड़िता से उसकी आयु और संबंधों के संबंध में विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। पीड़िता के अभिसाक्ष्य की प्रति अभिलेख पर अनुलग्नक पी/3 के रूप में रखी गई है। इसके परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि कण्डिका 8 व 9 में पीड़िता की आयु के संबंध में विशिष्ट प्रश्न पूछे गए हैं, और कण्डिका 11 से 14 में पीड़िता और याचिकाकर्ता के मध्य संबंधों के विषय में भी प्रश्न पूछे गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और पीड़िता के अभिसाक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता से उन दोनों आधारों पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन प्रस्तुत आवेदन के विषय वस्तु हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि लैंगिक अपराधों की पीड़िता को इस बहाने बार–बार पुन: परीक्षण के लिए बुलाकर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के दौरान कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन न्यायालयों को उपलबध विवेकाधिकार का प्रयोग प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्वपन कुमार चटर्जी विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2019) 14 एससीसी 328** में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "**10.** इस धारा का प्रथम भाग, जो कि अनुज्ञाप्रद है, दाण्डिक न्यायालय को विशुद्ध रूप से विवेकधिकार देता है और उसे संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में तीन तरीकों में से एक में कार्य करने में सक्षम बनाता है, अर्थात्: (i) किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करना; या (ii) उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षण करना, भले ही उसे

साक्षी के रूप में समन न किया गया हो; या (iii) पहले से परीक्षित किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और उसकी पुन: परीक्षण करना। दूसरा भाग, जो कि अनिवार्य है, न्यायालय पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह (i) ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन करे और उसकी परीक्षण करे या (ii) उसे वापस बुलाए और उसका पुन: परीक्षण करे, यदि उसका साक्ष्य प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

"11. यह सुस्थापित है कि धारा 311 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग केवल ठोस और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास इस धारा के अधीन न्याय के हित में आवश्यक होने पर साक्षियों को पुन: परीक्षण या आगामी परीक्षण के लिए वापस बुलाने की व्यापक शक्ति है, किंतु इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के अधीन शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय का यह अभिमत हो कि आवेदन विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राज्य (एनसीटी दिल्ली) विरुद्ध शिव कुमार यादव व एक अन्य,** (2016) 2 **एससीसी** 402 में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"**10.** इस बात से शायद ही इनकार किया जा सके कि निष्पक्ष विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटी का एक हिस्सा है। इसकी विषय–वस्तु मुख्य रूप से विचारण के संचालन के वैधानिक प्रावधानों से निर्धारित होनी चाहिए, यद्यपि कुछ प्रकरणों में जहाँ वैधानिक प्रावधान मौन हों, न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विधि का सिद्धांत विकसित कर सकता है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी सत्य है कि वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय निष्पक्ष विचारण के सिद्धांत को विचार में रखा जाना चाहिए।"

"11. यह भी सुस्थापित है कि विचारण की निष्पक्षता को न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से, बल्कि पीड़ित और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। निष्पक्ष विचारण के नाम पर, पूरी व्यवस्था को बंधक नहीं बनाया जा सकता। अभियुक्त अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने, सभी सुसंगत

दस्तावेज प्राप्त करने, अभियोजन के साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है। पुनः–आहूत करने का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि न्यायालय के पास विचारण के किसी भी चरण में अन्याय को रोकने की शक्ति सुरक्षित रहे। न्यायालय के पास उपलब्ध यह शक्ति केवल तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब न्यायालय वैध कारणों से यह अनुभव करे कि किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ है। ऐसी स्थिति में, शक्ति के प्रयोग से पूर्व, न्यायालय द्वारा कारणों सहित स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना अनिवार्य है। यह संभव नहीं है कि उन परिस्थितियों को सटीक रूप से परिभाषित किया जाए जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। विधायिका ने अपने विवेक से इस शक्ति को अपरिभाषित छोड़ा है। अतः इस शक्ति की परिधि का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन पक्षकारों द्वारा उद्धृत अनेक न्यायिक निर्णयों में उपलब्ध है। वर्तमान प्रकरण के लिए सुसंगत सिद्धांतों के संदर्भ में केवल कुछ निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त टिप्पणियों को इस रूप में पठन नहीं किया जा सकता कि वे नियमित रूप से इस आधार पर साक्षी को पुनः–आहूत करने की अनुमति देने का कोई अनम्य नियम निर्धारित करती हैं कि अधिवक्ता के कारणों से प्रतिपरीक्षण उचित नहीं था। यद्यपि न्याय का संवर्धन विधि का प्रमुख उद्देश्य है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि पुनः–आहूत करना केवल मांग किए जाने मात्र पर अथवा मात्र सुविधा से संबंधित कारणों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः यह अनुमान किया जाना चाहिए कि किसी वाद का संचालन करने वाला अधिवक्ता सक्षम है, विशेषतया तब, जब अधिवक्ता का चयन स्वयं वादकारी द्वारा किया गया हो। यदि इस सिद्धांत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए कि अधिवक्ता के प्रत्येक परिवर्तन पर पुनः विचारण अनिवार्य होगा, तो इसका विचारण की प्रक्रिया तथा दाण्डिक न्याय प्रणाली पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साक्षियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे बार–बार न्यायालय में उपस्थित होने की कठिनाई सहन करें, विशेष रूप से वर्तमान जैसे संवेदनशील प्रकरणों में। ऐसा करने से पीड़ितों को, विशेषकर जघन्य अपराधों के प्रकरणों में, अनावश्यक कष्ट हो सकता है, यदि उनसे बार–बार न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिपरीक्षण का सामना करने की अपेक्षा की जाए।"

9. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान पीड़िता से पूछे गए प्रश्नों पर विचार करते हुए, मुझे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है।

10. तदनुसार, यह याचिका *सारहीन होने के कारण* खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार, **खारिज** की जाती है।

नियमानुसार सत्यापित प्रति

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur